51

राज्य का महाधिवक्ता
(Advocate General of the State)

संविधान (अनुच्छेद 165) में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है।[1] वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है।

नियुक्ति एवं कार्यकाल

महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए।[2] दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे दस वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए।[3]

संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसादपर्यत बना रहता है, इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यत: वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार (मंत्रिपरिषद) त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है।

संविधान में महाधिवक्ता के वेतन-भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन-भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

कार्य एवं शक्तियां

राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है। इस नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्नवत हैं:

1. राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
2. विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों।
3. संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना।

अपने कार्य संबंधी कर्त्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में, जहां के लिए वह अधिकृत है, में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं। जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं।

तालिका 51.1 *राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में*

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
165	राज्य के महाधिवक्ता
177	राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार
194	महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा

तालिका 51.2 *संवैधानिक निकायों से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में*

अनुच्छेद	संवैधानिक निर्माण
76	भारत के महान्यायवादी
148	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
165	राज्य के महाधिवक्ता
243 आई	राज्य वित्त आयोग
243 के	राज्य निर्वाचन आयोग
243 जेड डी	जिला योजना समिति
243 जेड ई	महानगरीय योजना समिति
263	अंतर्राज्यीय परिषद्
280	वित्त आयोग
307	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग
315	संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग
324	निर्वाचन आयोग
338	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
338 ए	अनुसूचित जन-जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
339	अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग
340	पिछड़ा वर्ग आयोग
344	राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति
350बी	भाषाई अल्प-संख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी

संदर्भ सूची

1. संविधान के भाग 6 (राज्य), अध्याय-2 में निहित अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख है। यह एकमात्र अनुच्छेद है, जिसमें इस पद की चर्चा है।
2. न्यायिक पद का तात्पर्य राज्य की न्यायिक सेवा के तहत कोई पद।
3. उच्चतम न्यायालय के विपरीत संविधान में एक नामी न्यायवादी को बतौर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई उपबंध नहीं है।